

41-19

वादी एवं वकील वादी उपस्थित नहीं। उन्हे
 कलकल नही बाल-बाल आवान्तें लगाने
 वं उपस्थित नहीं आये। अतः वादी का
 यह वाद पर अन्तर्गत आदेश 9 दिवस
 3 C.P.C. के तहत अटक हाजरी अटक
 फौजरी में खारिज किया जाता है। परमावली
 कालका शुभल रात्रि वाद नलनीध तन्मीन
 दाखिल उपरल नौ फौजरी अन्त उपलब्ध
 सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
 नोखा (बीकानेर)

